

उद्देश्य से आरम्भिक तकनीकी शिक्षा देने के लिए, कि मन्त्र में उन्हें प्रशिक्षणाधियों के तौर पर तकनीकी केन्द्र नासिक में खापा लिया जाए, महाराष्ट्र सरकार के हवाले कर दी गई है।

(ख) जुलाई 1963 में नवीन एंग्राजी-शाला को एक तकनीकी स्कूल आरम्भ करने की अनुमति देने सम्बन्धी राज्य सरकार से एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी। एक ऐसी प्रार्थना नवीन एंग्राज से भी प्राप्त हुई थी, जिसमें यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि हाई स्कूल को एक तकनीकी स्कूल में बदलने के लिए एक अनावर्ती अनुदान के लिए आश्वासन दिया जाए।

(ग) यह प्रार्थना राज्य सरकार को भेज दी गई है, जिन्होंने इसे चौथी पंच-वर्षीय योजना में इस पर विचार करना मान लिया है।

इंग्लिस्तान में काले रंग के लोगों में असुरक्षा की भावना

1428. श्री बागड़ी :

श्री मषु लिम्बे :

क्या बैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ सप्ताहों में ब्रिटेन में कू-ब्लक्स क्लान जैसे जातिप्रक संगठनों की हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि हुई है जिसके कलस्वरूप काले रंग के लोगों में, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, असुरक्षा की भावना बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन की सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से क्या कार्यवाही कर रही है?

बैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख). ब्रिटेन में कू-ब्लक्स-ब्लान जैसे जातीय संगठनों की ऐसी हिंसात्मक कार्यवाहियों में वृद्धि होने की, जिनसे भारतीयों में

असुरक्षा की भावना बढ़ी हो, सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

भारत-लंका करार

1429. श्री बागड़ी :

श्री मषु लिम्बे :

श्री राम सहय अण्डेय :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री मतो रेणुका बड़कटकी :

श्री रामेश्वर टाँटिया :

श्री हिम्मतसिंहकर :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री कोल्ला थेकेया :

श्री रामचन्द्र बीरप्पा :

श्री रा० बरुआ :

श्री राम हरख यादव :

क्या बैदेशिक-कार्य मन्त्री 30 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 289 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय/लंका की नागरिकता के बारे में सितम्बर, 1965 में नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) भारत-लंका करार को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

बैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख). करार में जिस सम्मिलित समिति (ज्वाइंट कमेटी) की व्यवस्था है, उसकी नियमित रूप से बैठकें होती रही हैं और भारत/श्रीलंका की नागरिकता से सम्बद्ध सार्वजनिक नोटिस जारी करने के बारे में अभी बातचीत चल रही है। जैसी आशा की जाती थी, नोटिसें सितम्बर में जारी नहीं की जा सकीं। ऐसी प्रत्याशा की जाती है कि 1966 के आरम्भ में जारी कर दी जायेगी।